

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 जून 2014— आषाढ़ 3, शक 1936

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-1/आठ-परि./2014.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में

नियम 70-क के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(3) इस नियम के उप-नियम (1) एवं (2) के प्रावधान, ऐसे प्रक्रम वाहन अनुज्ञा पत्रों पर, जो दिनांक 17 जून, 2011 के पूर्व स्वीकृत किये गये हों, उनको पांच वर्ष की कालावधि के लिये अथवा जहां ऐसे अनुज्ञा पत्र की वैधता दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को अथवा उसके पूर्व समाप्त हो गई हो, उन्हें छत्तीस माह की कालावधि के लिये, इनमें से जो भी पूर्व में हो, लागू होंगे।”

No. F 5-1/viii-Trans/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For sub-rule (3) of rule 70-A, the following shall be substituted, namely :-

"(3) The provision of sub-rule (1) and (2) of this rule shall apply to a Stage Carriage permit granted prior to 17th June, 2011, for a period of five years or where the validity of such permit has expired on or before 19th April, 2012 to such permits for a period of thirty six months, whichever is earlier."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.